#### FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli No---

Dated-13-03-2015

#### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.708 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Motor Road from Km. 1 of Mahavidhyalaya Talwari to Government Inter Collage Talwari. in Chamoli district falls within jurisdiction of G.I.C. Talwari village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.708 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-'Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

जिला नावणीयो

(Full name and official seal of the District Collector)

## Attachement 1.6 (A)

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; gabeshoor

Dated: 13 -03-2015

0

जिला जिवकारी

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

## Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी0 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेत् 800 मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग के निर्माण हेत् 0: 700 हे0 सिविल, क्ल के है0 वन पंचायत, कुल के है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, अराली

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत ्यून्य है० (हे० आरक्षित वन भूमि, है० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल है० वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत, वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डेल्न ७६ जेला अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यीं की उपस्थिति निम्नानुसार

ह। 1- श्री **उ**र्थ - अध्यक्ष

3- श्री साहत् विद्या अधिकारी-सदस्य /

4- श्रीमती काला देवी बीठडीठसीठ क्षेत्र — उगाटाद्रम पचा 5- श्री हिन्द्र क्रिक्ट बीठडीठसीठ क्षेत्र — प्राप्त पचा वि० ख० नारावणवाड

6- श्री ......बी०डी०सी० क्षेत्र -----चमाली-

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किराजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी० 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग के परियोजना हेतु . े हैं है वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

> उप जिलाधिकारी अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जहसील – थराली जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिल्ली कारी अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्वरीय वृद्ध अभिकार समिति तहसील – थराली जनपद – चमोली

## Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी० 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी० लम्बाई में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.708 है० सिविल, कुल 0.708 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम तेलवाडी स्टेट

तहसील - थराली, जनपद - चमोली

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी० 1 से राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी० लम्बाई में मोटर मार्ग हेतु (0.708 हे० सिविल, भूमि) अर्थात कुल 0.708 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेलु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव मुहर सहित ग्राम प्रधान / सरपंच का प्रधान / सरपंच हा holiginal

## Attachement 1.6 (D)

दिनांक 27/19/15...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत तलकारी स्टेट

711 4414(1	ed
ग्राम समा म उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
मिंदे परा लेप रामा है	Camino
े। पावाकि एए (स्वीक) (मेर्व प्रधान तम्बाइ)	Munder of the same
1-3-18	P
	368
अंकर काल (अध्यक्ष अंग्रेस) केल मार्थ	1 Edgar
नामीद्र सिंह किया (तन्मार्की स्टेर	BBes/2-
	BML.
16 31 345 14E 144	Of the
रामक सिरंद	m
2	21stes
	SISM
ह्यीराद्ध श्रिनेह	Showal
	<b>*</b>
	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम  ारेट दर त्रिक्ट राज्य रहा स्मान के नाम  ग्रामाना के स्वार्ध राज्य स्वार्ध स्वार्थ स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स

ह0 / स्व ह्याम वंद्यायत न्यावा कुर्वे ह्याम प्रधाम १६० मधीम १६० म